

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
बिहार लोक भवन, पटना–800022

संख्या–232/2026

प्रेस–विज्ञप्ति

छः विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय लेने पर कुलाधिपति ने लगाई रोक

पटना 27 अक्टूबर, 2026 :– माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने छः विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।

इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना; कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा तथा बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपतियों का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय लेने तथा नियुक्ति अथवा स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, उन्हें ऐसी कोई नई योजना शुरू करने अथवा कोई नया कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता हो या जिसका वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से संबंध हो।

श्री दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यहित को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का नीतिगत अथवा वित्तीय निर्णय लेना आवश्यक हो, तो संबंधित कुलपति कुलाधिपति की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा निर्णय ले सकेंगे।

.....